बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक– फरवरी, 2017

संख्या–1/सी01–01/2016 गृ.आ.– / कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक–25013/02/2005-AIS.II दिनांक 28.06.2012 में निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु–सह–सेवांत लाभ) नियमावली, 1958 के नियम–16 (3) के अन्तर्गत बिहार संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के सेवाभिलेख की गहन समीक्षा हेतु विभागीय अधिसूचना सं0 5174 दिनांक 04.07.2016 द्वारा समिति का गठन किया गया।

2. उक्त समिति के सदस्य के रूप में झारखंड राज्य के पुलिस महानिदेशक स्तर के मनोनीत पदाधिकारी श्री राजीव कुमार, भा0पु0से0 (1981) की दिनांक 31.07.2016 को वार्धक्य सेवानिवृति होने के फलस्वरूप झारखंड सरकार द्वारा उनके स्थान पर श्री विभूति भूषण प्रधान, भा0पु0से0 (बैच– 1985) को उक्त समिति का सदस्य मनोनीत किया है।

3. अतः विभागीय अधिसूचना सं0 5174 दिनांक 04.07.2016 का आंशिक संशोधन करते हुए समिति का गठन निम्नरूपेण की जाती है :–

(i) मुख्य सचिव, बिहार	– अध्यक्ष
(ii) पुलिस महानिदेशक, बिहार	– सदस्य
(iii) श्री विभूति भूषण प्रधान, भा0पु0से0 (झारखण्ड–1985), महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा झारखण्ड, रॉची	– सदस्य (बिहार संवर्ग के बाहर के पुलिस महानिदेशक स्तर के पदाधिकारी के रूप में, जिनका गृह राज्य बिहार नहीं है)
(iv) श्री अमृत लाल मीणा, भा0प्र0से0 (बी0एच0–89) भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना	– सदस्य (बिहार संवर्ग में प्रधान सचिव स्तर के अनु0जाति/अनु0जनजाति पदाधिकारी के रूप में)
(v) प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना	– सदस्य सचिव

4. समिति बिहार संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के भारत सरकार के दिशा–निर्देश के आलोक में सेवाभिलेख की गहन समीक्षा कर अपनी अनुशंसा देगी ।

5. समिति की अनुशंसा राज्य सरकार के समक्ष रखी जायेगी । तत्पश्चात् राज्य सरकार की अनुशंसा गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जायेगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(रंजन कुमार सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव

संख्या–1/सी01–01/2016 गृ.आ.– / पटना, दिनांक – फरवरी, 2017

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7/प्रभारी ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

संख्या–1/सी01–01/2016 गृ.आ.– 1773 / पटना, दिनांक – 13 फरवरी, 2017

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली–1/ स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/समिति के सभी सदस्यगण/प्रधान सचिव, गृह विभाग, झारखण्ड, रॉची/आई.टी. प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना (website : www.home.bih.nic.in) पर अपलोड करने हेतु) एवं प्रशाखा पदाधिकारी, 1 एवं 5, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव